

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 08/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (SEZ) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 08/12/2022 को दोपहर 01:00 बजे मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:
1. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित)।
 2. श्री चमन लाल, एडीजी (एफटी) कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
 3. श्री योगेश कुमार, संयुक्त सचिव आयुक्त (उद्योग), डीआईसी (DIC), मुरादाबाद (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)।
 4. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST) मुरादाबाद।
 5. श्री भूपेन्द्र कुमार मर्तोल्या, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
 6. श्री जितेंद्र कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, मुरादाबाद।

B. समिति में उपस्थित अन्य अधिकारियों में सर्वश्री (i) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ), (ii) लाल बाबू प्रसाद, अधीक्षक (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड, (ii) और (iii) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड। चूंकि गणपूर्ति पूरा हो गया था, बैठक तुरंत आगे बढ़ी।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

01. दिनांक 10/11/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 10/11/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ या आपत्ति नहीं थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 10/11/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

02. एनएफई (NFE)/प्रदर्शन की निगरानी और अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव।

2.1 मैसर्स शैला एक्सपोर्ट्स

४/१२/२२

1. मैसर्स शैला एक्सपोर्ट्स के अधिकृत परिचालनों के लिए आईटीसी (ITC) (एचएस) कोड में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।
2. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, नोट किया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड और एचएस 2022 के अनुसार हैं उनके एलओए (LOA) में उल्लिखित अधिकृत संचालन नामकरण के तहत कवर किए गए हैं। इसलिए, समिति ने मैसर्स शैला एक्सपोर्ट्स इंडिया के एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड को निम्नानुसार शामिल करने की मंजूरी दी:

क्रमांक	माल का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड
1	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग गाँठदार	57011010, 57011090, 57019011, 57019019, 57019020, 57019031, 57019039
2	बुने गए कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग	57021000, 57023140, 57023210, 57023290, 57023910, 57023920, 57024210, 57024290, 57024990, 57025021, 57025031, 57029210, 57029990
3	अन्य कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग	57050022, 57050049, 57050090
4	परिधान और वस्त्र सहायक उपकरण शॉल / स्कार्फ / मफलर	62141020, 62141030, 62142010, 62143090, 62144090, 62149069, 62149099

2.2 मैसर्स कनेक्ट इंडिया इंक।

1. स्वीकृति पत्र (LOA) में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त अधिकृत संचालन और व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए मैसर्स कनेक्ट इंडिया इंक का प्रस्ताव विचार के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था।
2. इकाई के भागीदार श्री संदीप गर्ग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग के कारण विनिर्माण गतिविधियों के लिए अतिरिक्त अधिकृत संचालन का अनुरोध किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकृत संचालन के रूप में 'व्यापारिक गतिविधियों' के लिए अनुरोध उनके मौजूदा खरीदारों को निर्मित प्रकाश उत्पादों की आपूर्ति के लिए था। श्री गर्ग ने आगे बताया कि 'व्यापारिक गतिविधियों' के लिए सूचीबद्ध उत्पादों को डीटीए (DTA) से नहीं खरीदा जाएगा और केवल चीन और यूएसए (USA) जैसे विदेशी बाजारों से आयात किया जाएगा। इसके बाद अन्य एसईजेड (SEZ)/ईओयू (EOU) इकाइयों और डीटीए (DTA) निर्यातकों को अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ डीम्ड निर्यात के रूप में घरेलू स्तर पर आपूर्ति की जाएगी।
3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मैसर्स कनेक्ट इंडिया इंक के स्वीकृति पत्र (LOA) में विनिर्माण गतिविधियों के तहत अतिरिक्त अधिकृत संचालन को निम्नानुसार शामिल करने की मंजूरी दी:

क्रमांक	माल का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड
1	पावर कॉर्ड सेट, कॉर्ड सेट	85444220
2	तार	85441990

२।३।२।

4. समिति ने आगे अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में अधिकृत संचालन के रूप में 'व्यापारिक गतिविधियों' को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन एचएस 2022 नामकरण के अनुसार सही/संशोधित 08 अंकों के आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड जमा करने और फाइल पर उसकी जांच के अधीन है।

03. एलओए (LOA) के आयात/ठेके का काम एवं नवीनीकरण हेतु अनुमति हेतु प्रस्ताव।

3.1 मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस

1. चंदन अपव्यय (आयातित) पर ठेके का काम; मॉरीशस, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात से चंदन के आयात; के साथ-साथ स्वीकृति पत्र (संख्या एनएसईजेड (NSEZ)/4-367/2003 एमबीडी/5879 दिनांक 19.09.2014) का नवीनीकरण की अनुमति के लिए, मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस का प्रस्ताव, को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

2. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहन माहेश्वरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें 45.235 मिलियन टन चंदन के आयात की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 22.275 टन पहले से ही आयात किया जा चुका है और शेष पारगमन में है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नए ऑर्डर मिले हैं, जिसके लिए चंदन की लकड़ी के आयात की जरूरत है। श्री माहेश्वरी ने बताया कि आयातित चंदन से हस्तकला एवं चंदन फिंगर चिप्स का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद, चिप्स, पाउडर, सार-लकड़ी जैसे अपव्यय का उपयोग चंदन का तेल निकालने के साथ-साथ इत्तर और सुगंधित पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि चंदन के तेल के आसवन के लिए, वे 8-10 महीने की अवधि के भीतर मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) में एक अलग इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच, उन्होंने उप-अनुबंध/ ठेके का काम करने के लिए कन्नौज, उत्तर प्रदेश में डीटीए (DTA) को चंदन की लकड़ी के अपव्यय को बाहर निकालने की अनुमति मांगी। श्री माहेश्वरी ने यह भी अनुरोध किया कि उनका स्वीकृति पत्र (LOA) 31.12.2022 को समाप्त हो रहा है जिसे इसके दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि अर्थात् 2026 तक के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

- i. 19.01.2026 तक दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस के स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण किया।
- ii. चंदन के आयात के लिए इस कार्यालय द्वारा बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन चंदन के आयात के लिए इकाई के अनुरोध को मंजूरी दी:
 - a. इकाई निर्यात बंदरगाह पर नौभारपत्र (B/L) तैयार करने से पहले चंदन की लकड़ी के आयात की अनुमति के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय में आवेदन करेगी।
 - b. डीटीए (DTA) बिक्री, उप-अनुबंध/ ठेके का काम, डीमड निर्यात या अन्य एसईजेड (SEZ) इकाइयों को निर्यात की अनुमति आयातित चंदन या उसके अपशिष्ट/उप-उत्पादों से उत्पन्न होने वाले या किसी भी सामग्री वाले उत्पादों के लिए नहीं दी जाएगी।
 - c. पूर्व अनुमति और डीटीए (DTA) खरीदार द्वारा आयात लाइसेंस के उत्पादन के अलावा कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पाद या निर्मित माल की कोई डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ए.जे.एस


- d. आयातित चंदन से उत्पन्न माल के आयात और निर्यात की 100% परीक्षा। निर्यात वस्तुएं हस्तशिल्प वस्तुएं होनी चाहिए, जो स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य हों और ईपीसीएच (EPCH) द्वारा हस्तशिल्प के रूप में मान्यता प्राप्त हों।
- e. इकाई के प्रदर्शन की निगरानी वार्षिक रूप से की जाएगी और तिमाही आधार पर सामान लिया जाएगा।
- f. पूर्व अनुमति और डीटीए (DTA) खरीदार द्वारा आयात लाइसेंस के उत्पादन के अलावा उत्पन्न अपव्यय को डीटीए (DTA) में बेचने की अनुमति नहीं है; अन्यथा उसे सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा।
- iii. डीटीए (DTA) को चंदन की लकड़ी के अपव्यय के उप-अनुबंध/ ठेके का काम के प्रस्ताव की संबंधित एजेंसियों के परामर्श से फाइल पर अलग से जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(राजेश कुमार)

उप विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त